[2018] 11 एस.सी.आर. 650

कन्नन

बनाम

राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा

(आपराधिक अपील संख्या 1580/ 2011)

सितम्बर 12, 2018

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* उपधारा–*7* और *13(2)* सपठित धारा *13(1)(*डी*)* अभियोजन का मामला यह था कि उप वाणिज्यिक कर – अधिकारी *(*पीडब्लू–*4)* ने ए–*1* के साथ, जो उस समय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, एक किराने की दुकान का निरीक्षण किया *(*पीडब्लू–*2* के पिता के स्वामित्व में*)* और हिसाब –किताब जब्त कर लिया – पीडब्लू–*2* ने हिसाब –किताब वापस करने के लिए ए–*1* से संपर्क किया जिसके लिए ए–*1* ने रिश्वत की मांग की – पीडब्लू–*2* ने आरोपी को पकड़ने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी विंग–ट्रैप की व्यवस्था करने से पहले शिकायत दर्ज कराई – तदनुसार, पीडब्लू–*2* ए–*1* के कार्यालय में गया जहां ए–*1* ने उससे पूछा कि क्या वह पैसे लाया है और जब पीडब्लू–*2* ने कहा कि वह पैसे लाया है, तो ए–*1* ने पीडब्लू–*2* से ए–*2* को पैसे देने के लिए कहा और *A*–*2* को पैसे प्राप्त करने का निर्देश दिया – ट्रैप टीम ने सोडियम कार्बोनेट परीक्षण लिया, जिसके कारण *A*–*1* और *A*–*2* की गिरफ्तारी हुई, ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अधिनियम की धारा *7* और *13(1)(d)* के तहत दोषी ठहराया, और उन्हें दो साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई – हालांकि, उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर एक साल कारावास कर दिया – अपील पर, अभिनिर्धारित: पीडब्लू –*2* ने अपने बयान में ए –*1* और ए –*2* द्वारा रिश्वत राशि की मांग और स्वीकृति के बारे में स्पष्ट रूप से कहा – पीडब्लू–*3,* साथ आए गवाह ने स्पष्ट रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया – इसके अलावा, कार्यालय सहायक, पीडब्लू–*6* के साक्ष्य ने भी पीडब्लू–*2* के संस्करण की पुष्टि की– अधीनस्थ न्यायालयों ने, पीडब्लू–*2* के साक्ष्य और सोडियम कार्बोनेट घोल में परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाया

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया: 1. पीडब्लू–2 ने ए–1 और ए–2 द्वारा रिश्वत राशि की मांग और स्वीकृति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। गवाह के साथ गया पीडब्लू–3, हालांकि अपने बयान से मुकर गया, उसने अपनी मुख्य जांच में स्पष्ट रूप से कहा कि वह पीडब्लू–2 के साथ गया था, जो गया और ए–1 से मिला और, वहां ए–1 के निर्देश पर पीडब्लू–2 ने ए–2 को पैसे का भुगतान किया। उस हद तक, पीडब्लू–2 के साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू–3 के साक्ष्य से होती है। इसके अलावा, कार्यालय सहायक पीडब्लू–6 के साक्ष्य भी पीडब्लू–2 के संस्करण की पुष्टि करते हैं। अपने साक्ष्य में पीडब्लू–6 ने कहा है कि पीडब्लू–2 ए–1 के कमरे के अंदर गया और ए–1 ने ए–2 से कहा कि पीडब्लू–2 पैसे देगा और ए–2 को इसे लेना होगा और अपने पास रखना होगा। तदनुसार, पीडब्लू–2 ने ए–2 को पैसे दिए, जिसे वह प्राप्त हुआ। इस प्रकार, पीडब्लू–2 के साक्ष्य की पुष्टि कार्यालय सहायक पीडब्लू–6 के साक्ष्य से होती है। पीडब्लू–2 के साक्ष्य और सोडियम कार्बोनेट घोल में किए गए परीक्षण के आधार पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्तों को अपराधों का दोषी पाया था। भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई आधार नहीं था। [पैरा 4 और 5][652–जी; 653–ए–सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1580

2002 की आपराधिक अपील संख्या 875 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2008 से उत्पन्न।

साथ में,

2011 की आपराधिक अपील संख्या 1581।

मेसर्स मालिनी पोडुवल, सुश्री. बबीता संत, पी.बी.सुरेश, विपिन नायर, विक्रांत यादव, अंशुमान बहादुर, कार्तिक जयशंकर, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण।

एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. भानुमति, जे. 1. ये अपीलें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(2) के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि से उत्पन्न हुई हैं और अपीलकर्ताओं को एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. "अंबिका स्टोर्स" नाम और शैली के तहत एक किराने की दुकान सबापति–(पीडब्लू–2) के पिता द्वारा चलायी जाती थी। 19 अक्टूबर, 1994 को उप वाणिज्यिक कर अधिकारी (पीडब्लू–4) के साथ आरोपी नं. 1, एम. नदीमुथु, जो उस समय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, ने किराने की दुकान का निरीक्षण किया और हिसाब किताब जब्त कर ली। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्लू–2 ने ए–1 से संपर्क किया और हिसाब–किताब की वापसी के लिए कहा, जिसके लिए ए–1 ने 2000/– रुपये की रिश्वत राशि की मांग की। 22 अक्टूबर 1994 को, पीडब्लू–2 ने पंजीकरण के लिए एक आवेदन दिया और 100/– रूपये का एक चालान पेश किया। 22 नवंबर, 1994 को पीडब्लू–2 फिर से उप वाणिज्यिक कर अधिकारियों के कार्यालय गया जहां उसने ए–1 से हिसाब–किताब वापस करने को कहा, जिस पर ए–1 ने 2000/– रुपये की मांग दोहराई। 30 नवंबर, 1994 को, पीडब्लू–2 ने फिर से ए–1 से संपर्क किया, जिसने कहा कि रिश्वत की राशि 2000/– रुपये थी, जिसे बाद में घटाकर 800/– रुपये कर दिया गया था, जिसे 1 नवंबर, 1994 को भुगतान किया जाना था, ऐसा न करने पर आवेदन पंजीकरण प्रमाणपत्र खारिज कर दिया जाएगा। 1 नवंबर, 1994 को, पीडब्लू–2 ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विंग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर एक एफ.आई.आर. दर्ज किया गया और जाल की व्यवस्था की गई। उसी दिन यानी 1 नवंबर, 1994 को पीडब्लू–2, पीडब्लू–3 के साथ ए–1 के कार्यालय में गया जहां ए–1 ने उससे पूछा कि क्या वह पैसे लाया है और जब पीडब्लू–2 ने कहा कि वह पैसे लाया है, ए –1 ने पीडब्लू–2 को ए–2, कन्नन को पैसे देने के लिए कहा, और ए–2 को पैसे प्राप्त करने का निर्देश दिया। तदनुसार, पीडब्लू–2 ने ए–2 को 800/– रुपये की रिश्वत राशि का भुगतान किया। पीडब्लू–5 और ट्रैप टीम अंदर गई और सोडियम कार्बोनेट घोल के लाल होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ए–1 और ए–2 को गिरफ्तार कर लिया।

3. ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(2) और धारा 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन कारावास की सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया।

4. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मालिनी पोडुवल और श्री पी.बी.सुरेश को सुना है। दोनों विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू–2 के साक्ष्य अपुष्ट हैं और ए–1 को धन की प्राप्ति नहीं हुई थी। जहां तक ए–2 का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए–2 द्वारा कोई मांग की गई थी और इसलिए ए–2 की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। विद्वान वकील ने हमें गवाहों के बयानों और फैसले के संबंधित हिस्से से अवगत कराया है। हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का भी अवलोकन किया है।

5. जहां तक ए–1 और ए–2 द्वारा रिश्वत राशि की मांग और स्वीकृति का सवाल है, पीडब्लू–2 ने मांग और स्वीकृति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। पीडब्लू–3, जो गवाह के साथ था, हालांकि अपने बयान से मुकर गया, उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि वह पीडब्लू–2 के साथ गया था, जो ए–1 से मिला

और ए–1 के निर्देश पर, पीडब्लू–2 ने ए–2 को पैसे का भुगतान किया। उस हद तक, पीडब्लू–2 के साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू–3 के साक्ष्य से होती है। इसके अलावा, जैसा कि श्री एम. योगेश कन्ना ने प्रस्तुत किया, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान वकील, पीडब्लू–6, कार्यालय सहायक के साक्ष्य भी पीडब्लू–2 के संस्करण की पुष्टि करते हैं। अपने साक्ष्य में पीडब्लू–6 ने कहा है कि पीडब्लू–2 ए–1 के कमरे के अंदर गया और ए–1 ने ए–2 से कहा कि पीडब्लू–2 पैसे देगा और ए–2 को इसे लेना होगा और अपने पास रखना होगा। तदनुसार, पीडब्लू–2 ने ए–2 को पैसे दिए, जिसे वह प्राप्त हुआ। इस प्रकार पीडब्लू–2 के साक्ष्य की पुष्टि कार्यालय सहायक पीडब्लू–6 के साक्ष्य से होती है। पीडब्लू–2 के साक्ष्य और सोडियम कार्बोनेट घोल में किए गए परीक्षण के आधार पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्तों को अपराधों का दोषी पाया था। अधीनस्थ अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

6. तद्नुसार अपीलें खारिज की जाती हैं।

7. अपीलकर्ताओं को शेष सजा काटने के लिए आठ सप्ताह की अवधि के भीतर हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।

8. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

अपीलें खारिज।

Translated By:
Rang Nath Tripathi
Advocate